न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः—कानाराम, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—23/2024 विविध (धारा 14 सिकयोरिटाइजेशन)

फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 702, सेवेन्ध फ्लोर, यूनिक एस्पायर, प्लॉट नं. 13—14 कॉस्मो कॉलोनी आम्रपाली मार्ग वैशाली नगर जयपुर—302021 में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी गौरव कुमावत।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री गुरमेल सिंह पुत्र श्री हरचन्द सिंह
   पता—वार्ड नं. 15 वीपीओ गोलूवाला निवादान 22 जेआरके तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, राजस्थान —335802।

—ऋणी व बंधककर्ता

2. श्रीमती करमजीत कौर पत्नी श्री गुरमेल सिंह
   पता—वार्ड नं. 15 वीपीओ गोलूवाला निवादान 22 जेआरके तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, राजस्थान —335802।

—सहऋणी

3. श्री जग्गा सिंह पुत्र श्री लखवीर सिंह
   पता—वार्ड नं. 06 केवलवाली (3 टी.के.डब्ल्यू.) ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ, राजस्थान —335802।

—गारन्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश

दिनांकः— 18.9.2024

प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 702, सेवेन्ध फ्लोर, यूनिक एस्पायर, प्लॉट नं. 13—14 कॉस्मो कॉलोनी आम्रपाली मार्ग वैशाली नगर जयपुर—302021 में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी गौरव कुमावत की ओर से श्री शालू रानी वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को जरिये अनुबन्ध संख्या FIAGLALONS000005005272 निष्पादित कर रूपये 15,00000/— रूपये की ऋण सुविधा दिनांक 31.03.2019 को स्वीकृत व वितरित की गई थी। अप्रार्थी सं. 01 ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपने स्वामित्व की अचल सम्पति :—पट्टा सं. 15, ग्राम गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में स्थित जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल 400 वर्गगज है, जो कि गुरमेल सिंह पुत्र श्री हरचन्द सिंह के नाम से हैं, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने कम्पनी द्वारा प्रदत ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार नही चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 02.07.2023 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता में बकाया राशि 20,93,103/— रूपये दिनांक 13.07.2023

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

कि शेष देय है व दिनांक 18.07.2023 से आगे का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया निकलते है और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 21.07.2023 को भेज कर 60 दिन में ऋण राशि जमा करने की मांग की गई। परन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया रकम न तो अदा की और नही नोटिस का कोई जवाब दिया।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विकय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests of Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी अचल सम्पति :-पट्टा सं. 15, ग्राम गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में स्थित जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल 400 वर्गगज है, जो कि गुरमेल सिंह पुत्र श्री हरचन्द सिंह के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी कम्पनी का चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक ......18.9.24. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़